रजिस्ट्री सं० डी० 221

28/11/72

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 563] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 1971/कार्तिक 26, 1893

No. 563] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 1971/KARTIKA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

INCOME-TAX

New Delhi, the 16th November 1971

S.O. 5176.—In the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) published as S.O. 2271, dated the 31st May, 1971 at page 2237 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the June 1, 1971,—

in line 13, *for* "1958" *read*, "1858".

[No. 330/F. No. 1(345)/68-TPL pt.]

R. D. SHAH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1971

एस० आ० 5176.—दिनांक 31 मई, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित का० आ० 2271 के शुद्धि-पत्र में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

(1) पृष्ठ 2238 की पहली पंक्ति में पहले "आदश" के स्थान पर "आदेश" पढ़ा जायगा।

(2) उसी पृष्ठ पर चौथी पंक्ति में "उस शीर्षक" के स्थान पर "उप शीर्षक" पढ़ा जायगा ।

(3) उसी पृष्ठ की छठी पंक्ति में "पृष्ठ-18 50" के स्थान पर "पृष्ठ-185" पढ़ा जायगा ।

(4) उसी पृष्ठ पर 11वीं पंक्ति में "अंत" के स्थान पर "अंत" पढ़ा जायगा ।

[सं० 330/एफ० सं० 1 (345)/68-टी० पी० एल० पार्ट]

आर० डी० शाह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971